FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सिजो जोसफ .... बनाम .... राकेश कुमार ....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 12/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/01/22 2022/17	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ सिजो जोसफ पिता श्री पी. के. जोसफ निवासी– शालीमार होटल स्टेशन रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम .... बोरियाना (प.ह. धनेतकलां) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 598 कुल कीता 1 कुल रकबा 0.1200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम बोरियाना (प.ह. धनेतकलां) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 598 कुल कीता 1 रकबा 0.1200 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500.00 रूपये अक्षरे पांच सौ रुपए मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2022.01.15 15:23:14 IST Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 12/2024 13 दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण : सिजो जोसफ पिता पी० के० जोसफ निवासी शालीमार होटल स्टेशन रोड चित्तौड़गढ़ — प्रार्थी

बनाम

1- राकेश कुमार पिता चौथमल जी बडाला निवासी प्रो० बडाला गैस एजेन्सी होटल विनायक कॉम्प्लेक्स कलक्ट्रेट चौराहा चित्तौड़गढ़
2- मोहम्मद उमर प्रबन्धक महाराणा प्रताप पैरामेडिकल कॉलेज कपासन चौराहा चित्तौड़गढ़
3- सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकिंत अनवान के प्रकरण मे ग्राम बोदियाना खतौनी सं. 217 सम्वत् 2070 – 2073 मे अकिंत आराजी नम्बर 598 .... कुल किता 1 रकबा 0.1200 है. भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्ज़े में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकंन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावें। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 500.00 अक्षरे पांच सौ रूपए — मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस मे) पेश करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.15 16:33:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)